[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 31 जुलाई, 2018

सा.का.नि. ______ (अ). - केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 134 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2018 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 में,

(i) उप नियम (5) में, खंड (viii) के बाद निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ix) प्रकटीकरण, की क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट लागत अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा करना अपेक्षित है या नहीं और तदनुसार ऐसे लेखा और अभिलेख तैयार किए जाते हैं और रखे जाते हैं,

(x) एक कथन कि कंपनी ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 [2013 का 14] के अधीन आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है,";

(ii) उप नियम (5) के बाद, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(6) यह नियम एक व्यक्ति कंपनी या छोटी कंपनी के लिए लागू नहीं होगा"।;

(iii) नियम 8 के बाद निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8क. **एक व्यक्ति कंपनी और छोटी कंपनी के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल करने वाले विषय-** (1) एक व्यक्ति कंपनी और छोटी कंपनी की बोर्ड की रिपोर्ट कंपनी के एकल वित्तीय कथन के आधार पर तैयार की जाएगी जो संक्षिप्त रूप में होगी और उसमें निम्नलिखित शामिल किया जाएगा:-

(क) वेब पता, यदि कोई हो, जिस पर धारा 92 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न रखा गया है;

(ख) बोर्ड की बैठकों की संख्या;

(ग) धारा 134 की उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट निदेशक का उत्तरदायित्व कथन;

(घ) जो केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट किए जाने योग्य है, उससे भिन्न धारा 143 की उपधारा (12) के अधीन लेखापरीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए कपट के संबंध में ब्यौरा;

(ङ) लेखापरीक्षक द्वारा उसकी रिपोर्ट में की गई प्रत्येक योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पण या इंकार पर बोर्ड द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण या टीका-टिप्पणी;

(च) कंपनी के मामलों की स्थिति;

(छ) वित्तीय सारांश या मुख्य विशेषताएं;

(ज) वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख से कारबार की प्रकृति में महत्वपूर्ण परिवर्तन और कंपनी की वित्तीय स्थिति पर उसका प्रभाव;

(झ) निदेशकों का विवरण जिन्हें वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया था या त्याग-पत्र दिया है;

(ञ) विनियामकों या न्यायालयों या अधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सारवान् आदेशों का ब्यौरा, जिनका भविष्य में चल रही प्रास्थिति के संबंध में और कंपनी के प्रचालन पर प्रभाव पड़ रहा है।

(2) बोर्ड की रिपोर्ट में धारा 188 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षकारों के साथ संविदाओं या करारों की विशिष्टियां प्ररूप **एओसी-2** में निहित होंगी।"।

[फा.स.1/19/2013-सीएल-V भाग]

के.वी.आर.मूर्ति
31/7/18

(के. वी. आर. मूर्ति)
संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि.239(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 723(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2014, सा.का.नि.37(अ) तारीख 16 जनवरी, 2015, सा.का.नि.680(अ) तारीख 4 सितंबर, 2015, सा.का.नि. 742(अ) तारीख 27 जुलाई, 2016 और सा.का.नि. 1371(अ) तारीख 7 नवंबर, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 31 July , 2018

G.S.R. **(E).**—In exercise of the powers conferred by section 134 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2018.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014, in rule 8,

(i) In sub-rule (5), after clause (viii) the following clauses shall be inserted, namely:-

"(ix) a disclosure, as to whether maintenance of cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013, is required by the Company and accordingly such accounts and records are made and maintained,

(x) a statement that the company has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 [14 of 2013] ,";

(ii) after sub-rule (5), the following rule shall be inserted, namely:-

"(6) This rule shall not apply to One Person Company or Small Company". ;

(iii) after rule 8, the following rule shall be inserted, namely:-

"8A. **Matters to be included in Board's Report for One Person Company and Small Company.-** (1) The Board's Report of One Person Company and Small Company shall be prepared based on the stand alone financial statement of the company, which shall be in abridged form and contain the following:-

(a) the web address, if any, where annual return referred to in sub-section (3) of section 92 has been placed;

(b) number of meetings of the Board;

(c) Directors' Responsibility Statement as referred to in sub-section (5) of section 134;

(d) details in respect of frauds reported by auditors under sub-section (12) of section 143 other than those which are reportable to the Central Government;

(e) explanations or comments by the Board on every qualification, reservation or adverse remark or disclaimer made by the auditor in his report;

(f) the state of the company's affairs;

(g) the financial summary or highlights;

(h) material changes from the date of closure of the financial year in the nature of business and their effect on the financial position of the company;

(i) the details of directors who were appointed or have resigned during the year;

(j) the details or significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

(2) The Report of the Board shall contain the particulars of contracts or arrangements with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 in the Form **AOC-2**.".

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part]

31/7/18

K.V.R. Murty,
Joint Secretary

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 723(E) dated the 14th October, 2014, G.S.R 37 (E) dated the 16th January, 2015, G.S.R. 680(E) dated the 04th September, 2015, G.S.R. 742(E) dated the 27th July, 2016 and G.S.R. 1371(E) dated the 07th November, 2017.